पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल - सरकण कोपचा

ग्राम पंचायत आसेला

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - सरकण कोपचा गाँव करीब 1382 ई. से बसा है। उससे पहले डूंगरपुर वाला इलाका गिडीपुर नाम से जाना जाता था। उस समय सरकण गाँव में विजय सिंह जी महाराज का आधिपत्य था। गाँव में कोपचा उपजाति के लोग बहुत थे, इसलिए गाँव का नाम सरकण कोपचा पड़ गया। गाँव के आस-पास जंगल और पहाड़ियाँ थी। जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़-पौधे और जीव-जन्तु रहते थे। जो आज बढ़ती आबादी और वन विभाग की नीतियों और पहाड़ियों पर हो रहे अवैध खनन की भेंट चढ़ गए हैं।

गाँव का एक परिचय - सरकण कोपचा गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में बसा है। सरकण कोपचा गाँव की ग्राम पंचायत आसेला, ब्लॉक दोवड़ा तहसील और जिला डूंगरपुर है। सरकण कोपचा के पड़ोसी गाँव - लोलकपुर, खापरड़ा, सरकण-साईं, हिराता और आसेला है। सरकण कोपचा गाँव में जो फले हैं वे - बामनिया फला, नवाघरा खाटली, राणी घाटा, माली फला-पहला, माली फला-दूसरा, नवाघरा फला और इमली फला के नाम जाते हैं। गाँव में शिलालेख और गाँव सभा का गठन 1 जनवरी 2017 को हुआ था। लोगों के बीच पेसा कानून की जानकारी 2016 से है, जब एक गैर सरकारी संस्था द्वारा इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था। गाँव के आदिवासी समाज में सिर्फ भील जाति के लोग रहते हैं। गाँव के लगभग 40 घरों में बिजली की सुविधा नहीं है। गाँव की पहाड़ियों में खनिज में क्रेशर गिट्टी और सोपस्टोन है और क्रेशर गिट्टी का खनन हो रहा है। राशन की दुकान सरकंण साई में है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ती है। राशन की दुकान पर गेहूं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। गाँव में जंगल है। जंगल पर वन विभाग का कब्जा है। जंगल में अधिकांशतः विलायती बबूल के पेड़ हैं। पहाड़ों पर सिर्फ घास होती है। जंगल में चारा काटने के लिए जंगल विभाग से पास(टी.पी.) बनवाना पड़ता है। गाँव में लगभग 55 हैंडपंप हैं, जिनमें से 15 खराब हैं। गर्मी के दिनों में पीने के पानी की भारी समस्या हो जाती है। जिस हैंडपंप में पानी होता है, उस हैंडपंप पर लंबी लाइन लगती है और वहाँ से पानी पैदल ढो कर लाना पड़ता है। गाँव में छोटे-बड़े पहाड़ हैं, जिन पर व्यक्तिगत कब्जा है। गाँव में दो मंदिर हैं।

आवागमन की स्थिति - सरकण कोपचा जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से ऑटो/जीप और बस मिलती है, जो बांसवाडा-सागवाड़ा रोड पर स्थित सरकण कोपचा गाँव तक छोड़ती है। गाँव डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड के दोनों और बसा हुआ है। सड़क से 3-4 किलोमीटर पैदल कच्ची सड़क पर चलने के बाद सरकण कोपचा गाँव के फलों में पहुँच सकते हैं। निजी साधन से भी जा सकते

हैं। गाँव में चार कच्ची सड़के हैं। एक पुरानी सी.सी. सड़क हैं। वह गुणवत्ता की कमी और मरम्मत के अभाव में उखड गई है। गाँव में अधिकाँश कच्चे रास्ते हैं और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में एक मिनी आंगनवाड़ी है। दो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें बच्चों की संख्या 120 और दोनों विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 5 है। एक स्कूल बामणिया फला में है। इस स्कूल में 3 कमरे हैं और करीब 70 बच्चे तथा 3 अध्यापक है। एक स्कूल माली फला में है। उसमें चार कमरे हैं। उसमें भी करीब 40 बच्चे हैं और दो अध्यापक हैं। विद्यालय भवन की हालत जर्जर है। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता है। गाँव में एक निजी विद्यालय (धर्मदास विद्यालय) भी है। जिसमें करीब 50 बच्चे पढ़ते हैं और दो अध्यापक है। गाँव में उप-स्वास्थ्य केंद्र न होने के कारण इलाज की कोई सुविधा नहीं है। उप-स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर दूर आसेला गाँव में है। वहाँ सिर्फ टीकाकरण आदि के लिए जाते हैं। इलाज के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है। मरीजों को लाने ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। गाँव में दवाई की कोई दुकान भी नहीं है। दवाई के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है। पशु चिकित्सालय आसेला में है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 12 बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

आवागमन की कमी - डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड के दोनों किनारों पर बसे होने के कारण से गाँव के बाहर कहीं आने-जाने की समस्या उतनी नहीं है, जितनी अन्य अंदरुनी गाँवों में है। बस स्टैंड होने के कारण सरकण कोपचा से बस या ऑटो मिल जाते हैं। गाँव के फलों से एक-दो किलोमीटर पैदल चलने के बाद सरकण कोपचा ऑटो स्टैंड पहुँच सकते हैं। जीप और टेम्पों लगभग दुगनी ओवर लोड सवारियाँ भरते हैं। सबसे अधिक असुविधा बच्चों, विकलांगों, वृद्धों तथा बीमारों को होती है। गाँव में एक सड़क पक्की है। 1 सी.सी. सड़क की स्थिति ठीक है। बाकी सभी रास्ते कच्चे हैं।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव का पूरा रकबा 1500 बीघा, कृषि जमीन करीब 600 बीघा, बेनामी जमीन भी करीब 600 बीघा और जंगल की जमीन करीब 200 बीघा है। जंगल की जमीन पर वन विभाग का कब्जा है। बिलानाम भूमि पर खातेदारी का दावा किया गया है, लेकिन

खातेदारी हक़ (पट्टा) नहीं मिला है। गाँव के लोगों के कब्जे वाली खाली पड़ी जमीन और जंगल की जमीन पर वृक्षारोपण करने की जरूरत है। गाँव की जमीन ऊबड़-खाबड़, पहाड़ियों की ढलान वाली तथा पथरीली है। गाँव की सभी पहाड़ियाँ खाली पड़ी है। कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। गाँव के पानी में फ्लोराइड की समस्या है। गाँव में मात्र एक कुआं सार्वजनिक है। उसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। गाँव में चार एनिकट हैं जो भाईरा वाला एनिकट, पिछला वाला एनिकट, हाथिया भाटा का एनिकट और खाटली मूडी वाला एनिकट के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से मात्र एक एनिकट भरा रहता है। बाकी 3 से पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव में एक टूटा-फूटा तालाब (कातरा दरा तालाब) है। गाँव में करीब निजी 60 कुँए हैं। 4 कुओं को छोड़कर बाकी सभी कुएं बरसात बाद सूखने शुरू हो जाते हैं। मार्च तक कुएं पूरी तरह सूख जाते हैं। करीब 55 हैंडपंप (15 खराब) और करीब 15 निजी बोरवेल हैं। फिर भी गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। गर्मीं में पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। नाले में मात्र बरसात में पानी भरा रहता है। उसके बाद सूख जाता है। गर्मियों में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक गाँव वालों के पास नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव वालों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। बहुत कम लोगों की जमीन समतल है। अधिकांश लोगों की जमीन पथरीली, पहाड़ की ढलान वाली और ऊबड़-खाबड़ है। सिंचाई की व्यवस्था समतल जमीन पर ठीक-ठीक हो जाती है। जिन लोगों की जमीन पहाड़ी की ढलान पर, ऊबड़-खाबड़ तथा पथरीली है, उन्हें खेती करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिकांश लोगों की खेती सिर्फ बरसात में ही हो पाती है। खेती पर जंगली जानवर जैसे नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर आदि का खतरा रहता है। वह फसल को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। अधिकांश लोग की खेती से पैदा हुआ अना स्वयं के परिवार के भरण-पोषण के ही काम आ पाता है। खेती में तीन-चार महीने खाने भर का अनाज उत्पन्न होता है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग भी कुछ लोग ही करते हैं। धान, गेहूं, मक्का, चना और उड़द उनकी मुख्य फसल है। मनरेगा में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी अधिक है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 80% है। मनरेगा में नियमित काम न मिलने के कारण अधिकतर पुरुष काम की तलाश में गाँव से बाहर चले जाते हैं। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण न तो पूरे सौ दिन काम मिलता है, और न ही पूरी

मजदूरी मिल पाती है। मनरेगा में सामान्यतया वार्ड पंच लोगों का आवेदन तो करवाते हैं, लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं। मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं। मनरेगा योजना भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सकी है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहाँ उनको कोई काम मिलता है तो ठीक, नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं। अगले दिन फिर उसी मजदूर मंडी में पहुँच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत, वापी में मजदूरी करने जाते हैं। वहाँ वे ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गाँव में करीब 12 लोग सरकारी नौकरी करते हैं।

खनन- गाँव की पहाड़ियों में लगभग 20 साल से खनन हो रहा है। खनन के कारण उड़ने वाली धूल से लोग बीमार हो रहे हैं। गाँव के पेड़ों और फसलों की पत्तियों पर धूल जम जाने से पेड़ों और फसलों का विकास रुक जाता है। इससे कृषि पैदावार प्रभावित हो रही है। खनन से निकलने वाला मलबा गाँव की खाली जमीन पर डंप किया जाता है। बरसात में यह मलबा बहकर खेतों और नालो पर बने एनिकट में जमा हो जाता है, जिससे खेती की उपज कम हो रही है तथा तालाबों और एनिकट की गहराई कम होते जाने से पानी भी कम होता जा रहा है।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल एनिकट नाला कुआं निजी बोरवेल हैंड पंप	एनिकट चार हैं। जिनमें से तीन में सिर्फ बरसात के दौरान पानी रहता है रहता है। एक में पानी गर्मी तक रहता है। गाँव में करीब 50 हैंडपंप हैं। गाँव में 5 नाले हैं - मान दरा नाला, पीपला वाला नाला, मांडेविया नाला, वाइर वाला नाला, हथियापाटा (रानी घाटा नाला)। इनमें से सिर्फ पीपला वाला	पहाड़ की ढलान पर वर्षा जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा जल संरक्षण से पानी रुकने से सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भू-जल स्तर को भी रोका जा सकता है। भू-जल स्तर ऊँचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। तलावडी

	नाले में पानी रहता है। अन्य नाले बरसात बाद सूख जाते हैं। मात्र एक कुआं जो मांडेविया में है, उसमें पानी रहता है। उसमें मोटर लगी है। बाकी सूख जाते है। करीब 15 हैंडपंप खराब हैं। लगभग सभी निजी बोरवेल चालू हैं।	की मरम्मत करके और पुराने कुओं की मरम्मत और गहरीकरण करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है। भू-जल स्तर स्थिर रखने के लिए ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को नियंत्रण करना होगा।
जमीन कृषि भूमि बिलानाम भूमि चारागाह	गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है। बाकी पहाड़ी ढलान वाली, ऊबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गाँव में जितनी जमीन है, उसके आधी से कम जमीन पर खेती होती है और बिलानाम भूमि तथा आधे चारागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा ऊबड़-खाबड़ तथा एक फसली होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है	खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है, उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। गाँव के नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों में जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से

		कृषि और अन्य व्यवसाय के लिए लोग योजना बनाना शुरू करें तो गाँव से किशोरों और युवाओं के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
जंगल	गाँव की 200 बीघा जमीन जंगल की है, जिस पर वन विभाग का आधिपत्य है। गाँव सभा ने वन अधिकार समिति का गठन करके वन पर सामुदायिक वन दावा पेश कर दिया है। जंगल में अधिकतर झाड़ियाँ, कंटीले बबूल के पेड़, सीताफल और सागौन के पेड़ हैं। महूए के भी पेड़ हैं। महूआ से कुछ लोग शराब बनाते हैं।	वन पर सामुदायिक वन दावा करके जंगल को गाँव सभा के अधीन करके उसे पुनर्जीवित करना। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी लेना। इस प्रकार गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाना। जंगल के आस-पास पानी रुकने की व्यवस्था होने पर जंगल में आंवला, टीमरु, सीताफल, आम, सागवान और अन्य वृक्ष लगाना।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। चारा गाँव के अधिकाँश लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा बाजार से खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है, तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ अच्छी नस्ल का भी नहीं होना दूध कम देने का कारण है। गाँव के आधे चारागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चारागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियाँ होने से जंगल से भी चारा कम ही मिल पाता है।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी, दूसरे पूरे वर्ष भर

एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे प्रांतों खासकर गुजरात में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहाँ भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - गाँव में 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों की संख्या करीब 80 है। वृद्धा पेंशन 40 महिलाओं और 40 पुरुषों को तःथा विधवा पेंशन 5 को मिलती है। गाँव में करीब आधे घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। गाँव के कुछ घरों में शौचालय नहीं बना हुआ है। जो शौचालय बने हैं, वो नाम मात्र के बने हैं। उनकी दीवारें सीमेंट की चद्दरों की अथवा बहुत पतली हैं। कुछ शौचालयों पर छत भी नहीं है। राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है। राशन की दुकान पर पोस मशीन भी समस्या ग्रस्त रहती है। अंगूठे का निशान कभी-कभी नहीं मिलता है या इंटरनेट की समस्या होती और लंबी लाइन लग जाती है। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र हो चुकी है, पर वे जरूरी औपचारिताओं की कमी के चलते पेंशन नहीं ले पा रहे हैं।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	सरकण कोपचा के आस-पास का भू-भाग पहाड़ियों से घिरा होने के कारण की जमीन ऊबड़-खाबड़ तथा ऊँची-नीची है। जमीन ऊबड़-खाबड़ तथा ऊँची-नीची होने के कारण रास्ते बनाने में समस्या होती है। जो रास्ते बन जाते हैं, वह बारिश के कारण जल्द ही खराब हो जाते हैं। रास्तों का निर्माण और जो मरम्मत की जाती है, उसके लिए अच्छी गुणवत्ता का सामान उपयोग नहीं किए जाने के कारण भी रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। मनरेगा के तहत जो सड़कें बनती हैं, वे भी गाँव वालों की भागीदारी के बजाय निजी कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदार) से बनवा ली जाती है। कई बार सड़क के बीच में से लोग पाइपलाइन अपने	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहाँ रास्ते नहीं हैं, वहाँ के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है। सतर्कता समिति का भी गठन किया है, जो गाँव सभा में होने वाले कार्यों की निगरानी करेगी। मनारेगा के तहत सड़क निर्माण के पूर्व सूचना गाँववासियों को देने से वे सड़क खोदने जैसे कार्य नहीं करेंगे और निर्माण के समय ही पाइप डाल लेंगे।	**तात्कालिक**

			खेतों की सिंचाई के लिए निकालते हैं और बीच में सड़क खोद देते हैं। यह भी रास्ते की समस्या का एक कारण बनता है। ठेकेदार द्वारा अच्छी गुणवत्ता का सामान उपयोग किया जा रहा है या नहीं, अथवा समय से कार्य हो रहा है या नहीं, इस पर गाँव वालों की निगरानी का न होना भी रास्ते की समस्या का एक कारण है।		
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में 2 सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें मात्र 5 अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे भी नहीं हैं। विद्यालय भवन की हालत भी अच्छी नहीं है। बरसात में कमरों की छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों को बैठने में परेशानी होती है। बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक विद्यालय भवन की मरम्मत, कक्ष निर्माण, अध्यापकों की नियुक्ति तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रस्ताव लिए गए हैं।	**तात्कालिक**

			हैंडपंप से है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। शौचालय में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक निजी विद्यालय है। उसमें भी सिर्फ 2 अध्यापक हैं। गाँव में दो सरकारी तथा एक निजी स्कूल होने के बावजूद गाँव की शैक्षणिक व्यवस्था बहुत ही खराब है।		
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। ऊबड़-खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है, उसमें उत्पादन बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है, जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलने वाले नाले में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नाले का सारा पानी निकल जाता है।	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत। खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है। इससे फसलों का उत्पादन बढाया जा सकता है। वृक्षारोपण, मछली पालन, सब्जी की खेती करके गाँव के सभी लोगों की आय को	**तात्कालिक**

				बढाया जा सकता है। खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है।	
4	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	मात्र कुछ ही लोगों को खातेदारी का हक मिला है। गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं। जिस भूमि पर वह काबिज हैं, वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार का भय	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज हैं, उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा। जिनके पट्टे मिल गए हैं, उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव	**दीर्घकालिक**

			पैदा हो गया है कि सरकार कभी भी उनकी जमीन छीन सकती है। इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है।	सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	
5	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिसके कारण दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है। गाँव में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा भी अत्यधिक है। गर्मियों में ज्यादातर लोग बोरवेल का पानी पीते हैं, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। जैसे-जैसे भू-जल स्तर नीचे	बरसात के पानी को पूरे वर्ष नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना। बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

			गिरता जाता है, फ्लोराइड की मात्रा पानी में वैसे-वैसे बढ़ती जाती है।		
6	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबंधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है, उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं, उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। पेंशन भी सभी लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि उनकी उम्र पहचान पत्र में कम दर्ज की गई है। जीवित प्रमाण पत्र नहीं देने से भी कई लोगों की पेंशन बंद है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्ची सड़क कच्चे रास्ते सीसी सड़क मजदूर मनरेगा	मानदेय के अनुसार मजदूरी न मिलना। समय रहते सड़क की मरमत नहीं कराना। एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए सिर्फ पगडण्डी का होना। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को आने-जाने में समस्या।	मनरेगा के तहत सड़क की मरम्मत की जा सकती है। पगडण्डी की जगह कच्चे रास्तों का निर्माण कराया जा सकता है। मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते हैं। रास्तों की व्यस्था होने से बच्चों समय पर विद्यालय और बीमार समय से अस्पताल पहुँच सकते हैं।	पंचायत व मेट के भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। गाँव सभा को मजबूत करना। निगरानी समिति द्वारा गाँव में हो रहे निर्माण कार्यों पर निगरानी रखना। गाँव सभा उपयोगिता प्रमाण पत्र देना। सड़क निर्माण के लिए लोगों के आपसी विवाद को निपटाना।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंडपंप एनिकट	पहाड़ों के दर्रे में गर्मी में अधिकतर एनिकट, नालों और हैंडपंप का पानी सूख जाता है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की कमी। बारिश के पानी को इकठ्ठा करने की योजना का न होना। लोगों का जल संरक्षण के प्रति उदासीन होना। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए निजी बोरवेल का अधिक उपयोग। हैंडपंप की समय-समय	कुओं और एनिकट का गहरीकरण। कच्चे व पक्के चेक डैम निर्माण। जल के स्रोतों में पानी का रीचार्ज। मनरेगा के तहत वर्षा जल को संग्रहित करने की योजना।	पंचायत, गाँव सभा या सामूहिक प्रयास से इस चुनौती से निपटने की योजना बनाना। बारिश के पानी को संग्रहित करने के प्रति लोगों को जागरूक करना। गाँव सभा को मजबूत करना।

	पर मरम्मत न कराना।		
आजीविका के साधन मनरेगा कृषि पशुपालन मछलीपालन	मानदेय के अनुसार मजदूरी न मिलने के कारण लोगों का मनरेगा के प्रति उदासीन होना। कृषि जमीन का ऊबड़-खाबड़ होना। रोजगार के अन्य विकल्पों के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव। चारागाह जमीन से पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध न हो पाना।	मनरेगा में सामूहिक रूप के काम का आवेदन करना। कृषि भूमि का समतलीकरण कर उपजाऊ बनाना। सब्जी उगाई जा सकती है। एनिकट में मछलीपालन किया जा सकता है। छोटे पशु जैसे भेड़,बकरी, मुर्गी या मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। चारागाह की जमीन को विकसित कर चारे की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्ज़ा। उन्नतशील बीज का अभाव। पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। लोगों में मनरेगा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। गाँव सभा को मजबूत करना।
भूमि सार्वजनिक भूमि वन बिलानाम जमीन चारागाह	जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा। बिलानाम भूमि का पूरा अधिकार पत्र न मिलना। चारागाह जमीन पर कब्ज़ा। सार्वजनिक जमीन पर कब्ज़ा। वन में बबूल और कंटीली झाड़ियों का होना। वन प्रबंधन के प्रति लोगों की उदासीनता। ज्यादातर कृषि भूमि	बिलानाम भूमि वन अधिकार का प्रयोग कर भूमि का अधिकार पत्र लिया जा सकता है। सार्वजनिक व चारागाह भूमि से अवैध कब्ज़ा हटाया जा सकता है। जंगल में फलदार वृक्ष और वन उपज के पौधे लगाये जा सकते हैं। मनरेगा के तहत जंगल से कंटीली झाड़ियाँ हटाकर उस जगह वृक्षारोपण किया जा	वन व बिलानाम भूमि के मुद्दे पर लोगों को लम्बे समय तक जोड़े रखना। वन, चारागाह और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना। चारागाह व सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जे हटाना।

	का सिंचित न होना।	सकता है।	
गौण खनिज गिट्टी सॉपस्टोन	गाँव सभा के कमजोर होने के कारण गौण खनिज के बारे में जानकारी न होना। गौण खनिज निकालने की प्रक्रिया की समझ का नहीं होना।	गाँव सभा द्वारा गौण खनिज निकालने की योजना बना रोजगार के अवसर पैदा करना। इससे गाँव से पलायन से रुकेगा और गाँव में आजीविका के साधन बढ़ेंगे।	कंपनियों/बाहरी व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे खनन को रोकना। गाँव सभा को मजबूत करना। गौण खनिज निकालने की प्रक्रिया को समझना और गौण खनिज निकालने की योजना तैयार करना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

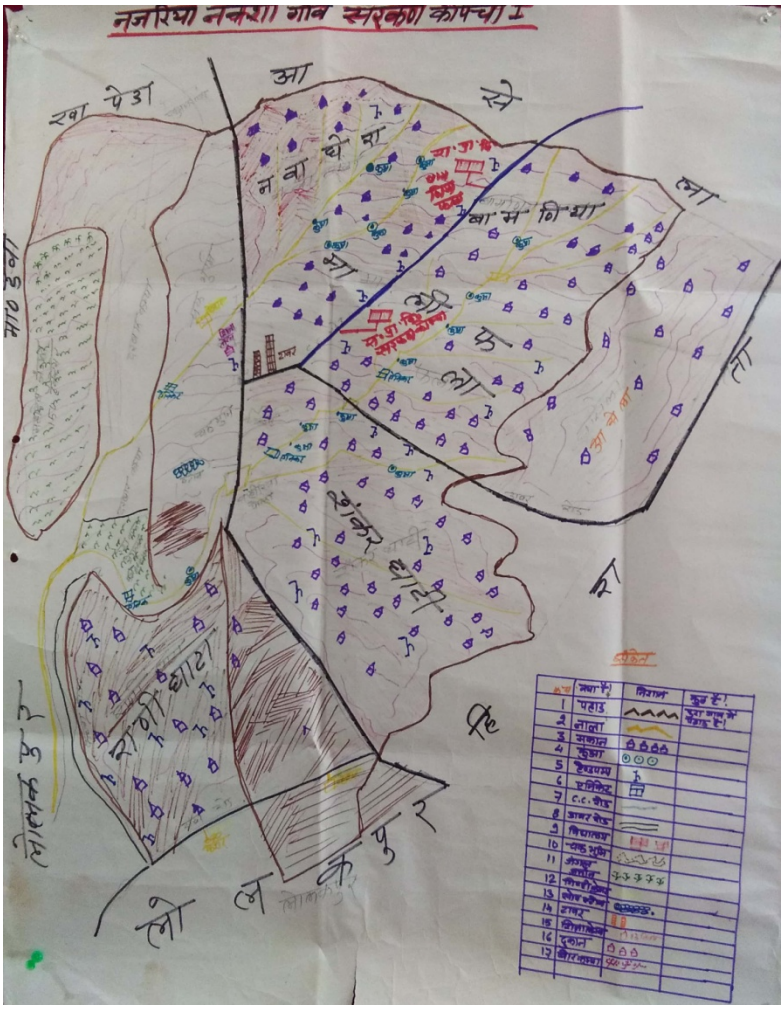

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्ताव क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	कुआं गहरीकरण, रिंग वाल और ब्लास्टिंग कार्य	12
2	नए कुआं खुदवाना	2
3	नए हैंडपंप	11
4	एनीकट मरम्मत/पुनर्निर्माण	6
	1. पानीवाला दर्रा का कालिया/हजा	
	2. गोमिया बेड़ी हरणी के घर के पास	
	3. माहियाणा वाला फला हाजा	
	4. बामणिया फला कम जी/धूला	
	5. हाकिया भाटा राबी घाटा	
	6. बरड़ा वाला बदा/कालिया	
5	चेकडैम निर्माण के संबंध में	6
	1. करणी - घाटा नाले पर	
	2. पिपला वाला नाले पर	
	3. नवाघरा नाले पर	
	4. मांकी फला नाले पर	
	5. हाजिमा खेड़ी नाले पर	
	6. बामणिया फला नाले पर	
6	समतलीकरण	22
7	रोजगार गारंटी में कार्य	250 x150 = 37500 दिन कार्य
8	प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास	30
9	पशुबाड़ा निर्माण	250
10	खाद्य सुरक्षा योजना	13
11	कच्ची सड़क	

	1. काकरा वाला शेड से शशि कुमार के घर तक	7
	2. पीपला वाला दरा से हीरा भाई के घर तक	
	3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय से रामा बाई के घर तक रोड मय पुलिया	
	4. खाटकी महुड़ी से राजीव गांधी पाठशाला बामणिया फला तक सड़क	
	5. मेन रोड से कम्पा रोड	
	6. शंकर घाटी से धना भाई के घर तक रोड	
	7. मेन रोड से कुआं बसु रणछोड़ के घर तक रोड	
12	सी.सी. रोड	4
	1. गुप्ता क्रेशर से धनजी भाई	
	2. स्कूल होता हुआ काकरा दरा से कारी लाल के घर तक सी.सी. सड़क	
	3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय बामणिया फला से मेन रोड तक सी. सी. आसेला फला सी.सी. सड़क	
	4. विद्यालय से धर्मदास विद्यालय तक सी.सी. सड़क	
13	तालाब	5
	1. कातर द्वरा तालाब	
	2. मोटा दरा वरजेग/हरर्जी	
	3. रानी घाटा कमला शंकर/मनु	
	4. बामणिया फला कानजी/धुला	
	5. नवाघरा प्रेमलता नारायण	
14	पक्का कार्य	
	1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरकण कोपचा	10
	2. दो कमरे	
	3. विद्यालय की बाउंड्री	
	4. विद्यालय के पास चौराहा	

	5. सामुदायिक भवन	
	6. आंगनवाड़ी भवन का कमरा	
	7. कातरा दरा मय पुलिया	
	8. पूनमचंद के घर के पास पुलिया	
	9. एक पुरानी होली पर चौराहा	
	10.शमशान घाट माली फला में	
15	डामरीकरण	3
	1. गुप्ता क्रेशर से लालपुरा विद्यालय तक	
	2. अंकुरी से बामनिया फला तक	
	3. पीपलावाला मेन रोड से रामा भाई के घर तक डामरीकरण रोड	
16	बस्ती विद्युतीकरण योजना	
	माली फला में 25 से 40 घरों में विद्युत कनेक्शन	25 से 40
	रानी घाटा बस्ती में विद्युत कनेक्शन	--
17	वृध्दावस्था पेंशन योजना	9

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

गाँव सभा करते लोग सरकण कोपचा

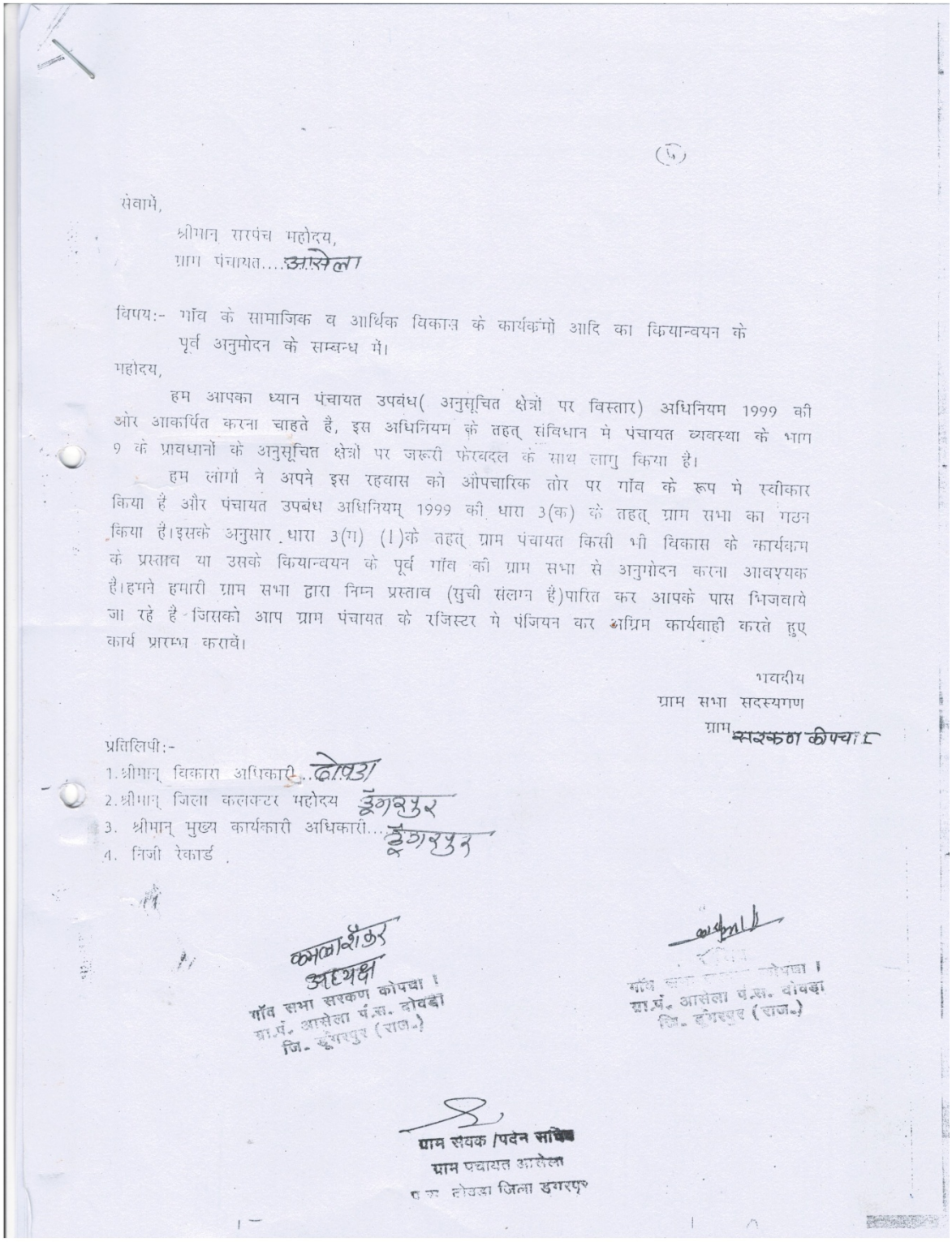

(5)

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत....आसेला

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का कियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (I)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके कियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम सरकण कोपचा

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् विकास अधिकारी...दोवडा
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय डूंगरपुर
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी...डूंगरपुर
4. निजी रेकार्ड .

कमलाशंकर
अध्यक्ष
गाँव सभा सरकण कोपचा
ग्रा.पं. आसेला पं.स. दोवडा
जि. डूंगरपुर (राज.)

गाँव सभा सरकण कोपचा
ग्रा.पं. आसेला पं.स. दोवडा
जि. डूंगरपुर (राज.)

ग्राम सेवक /पदेन सचिव
ग्राम पचायत आसेला
प.स. दोवडा जिला डुगरपुर

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

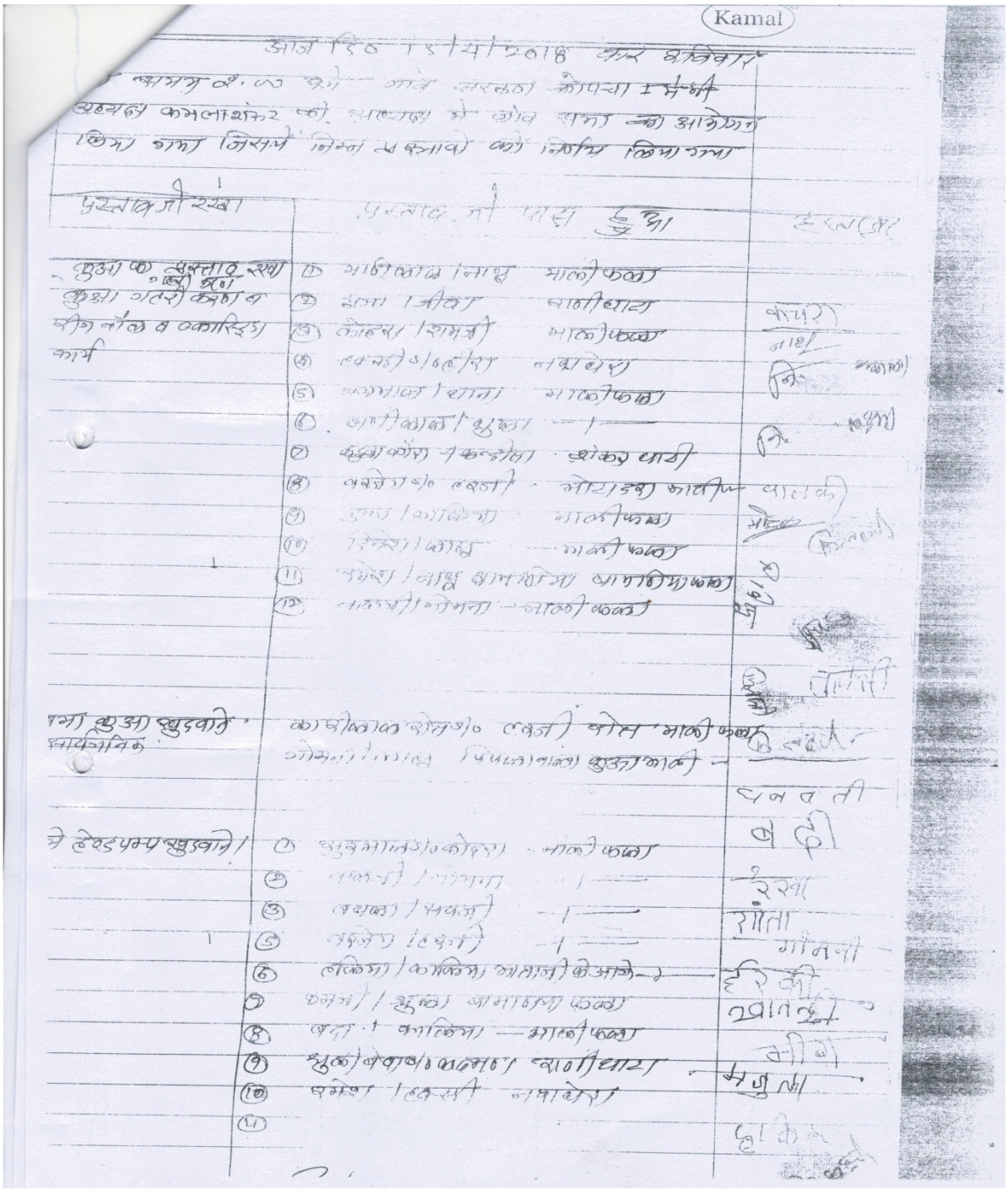

प्रस्ताव प्रथम पेज

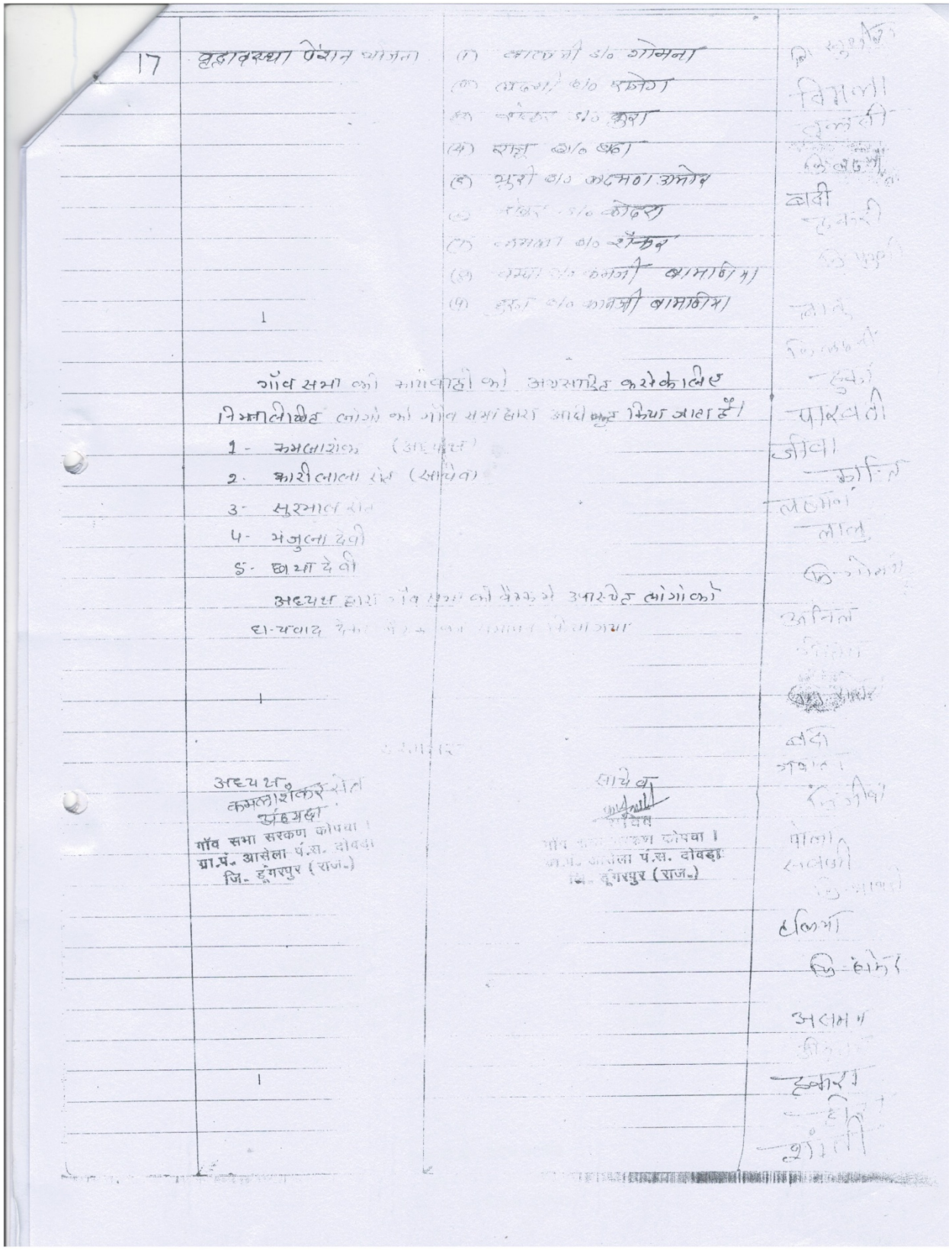

17	वृद्धावस्था पेंशन योजना	(1) [illegible] जी s/o गोमना (2) [illegible] s/o रूपजी (3) [illegible] s/o कुरा (4) राजू w/o [illegible] (5) भूरी w/o [illegible] अमोर (6) [illegible] s/o कोदरा (7) [illegible] w/o शंकर (8) [illegible] w/o कमजी बामणिया (9) [illegible] w/o कानजी बामणिया	बिमला कुलकी बादी पारवती जीवा लक्ष्मी लाल अनिल बादी पोला अलमा इकार

गाँव सभा की कार्यवाही को अवसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को गाँव सभा द्वारा अधिकृत किया जाता है।

1 - कमलाशंकर (अध्यक्ष)
2. कारीलाल रोत (सचिव)
3 - सुरमाल रोत
4 - मंजुला देवी
5 - छाया देवी

अध्यक्ष द्वारा गाँव सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया गया

अध्यक्ष
कमलाशंकर रोत
अध्यक्ष
गाँव सभा सरकण कोपचा।
ग्रा.पं. आसेला पं.स. दोवड़ा
जि. डूंगरपुर (राज.)

सचिव
सचिव
गाँव सभा सरकण कोपचा।
ग्रा.पं. आसेला पं.स. दोवड़ा
जि. डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव अंतिम पृष्ठ

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

	नाम	**फोन न.**
1.	चंपा देवी	8890968791
2.	कमला देवी	8890968791
3.	हकसी	7023625573
4.	धनु देवी	7023625573
5.	कारीलाल रोत	9829346824